(41)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र.

निग.प्रक.क्र. I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/0623 वर्ष

घनश्याम पटैल तनय स्व0 सूरे कुर्मी उम्र 55 वर्ष नि. ग्राम व
पोस्ट भैरोगंज (लुगासी), तहसील –नौगॉव जिला छतरपुर म.प्र.....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

शासन म.प्र.....गैर निगरानीकर्ता

श्री ... द्वारा आज दि. 23-1-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक सुनवाई हेतु दिनांक 8.2.18 नियत।
23-1-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय प्रक.क्र. 07/अ–6अ/14–15 में पारित आदेश दिनांक 24.10.17 से दुःखी होकर।

महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता सादर निगरानी प्रस्तुत करता है –

1. **निगरानी का संक्षिप्त विवरण**–यह कि आवेदक घनश्याम पटैल पिता सूरे , खेमचन्द्र रामरतन, गोपीचन्द्र तनय देवीदीन, वती बेवा देवीदीन कुर्मी निवासी भैरोगंज (लुगासी)तहसील नौगॉव द्वारा अपने भूमि स्वत्व के ख.नं. 4489/0.25, 4490/0.26, 1566/0.40, 5931/3.60, 6018/1.40, 6205/0.35, 6207/0.33 कुल किता 07 एकत्र कुल रकवां 6.59 पर आवेदक का मौके पर कब्जा नहीं है , इसके अतिरिक्त सर्वे नंबर जो भूमि स्वामी स्वत्व के है 4148/0.60, 4155/2.09, 4290/.008, 4577/1.30 कुल किता 04 कुल रकवां 4.07 मौके पर आवेदक का कब्जा है, इस प्रकार कुल किता –11 कुल रकवां 10.66 है0 आवेदक के भूमि स्वामी स्वत्व पर वर्तमान खसरा अर्थात बन्दोवस्त की स्थिति अनुसार है, रिकार्ड सुधार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त ग्राम का बन्दोवस्त चल रहा था। उक्त प्रकरण म.प्र.भू.रा.संहिता की धारा 89 एवं सपठित धारा 115, 116 के अन्तर्गत मानते हुयें प्रकरण दर्ज किया गया , आवेदक मेंढिया कास्तकारों के कथन लिये गये तथा सत्यप्रति दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तदुपरांत आदेश पारित कर राजस्व अभिलेख में अमल किया जना सुनिश्चित किया गया था।

23/1/18

2. यह कि सर्वेक्षणकर्ता राजस्व निरीक्षक द्वारा शासकीय राजस्व अभिलेख एवं स्थल की स्थिति एवं मौका कब्जा के अनुसार बन्दोवस्त के पूर्व की स्थिति एवं

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/निग0/छतरपुर/भू0रा0/2018/623

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08–3–18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील जादौन एवं अनावेदक की शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित । उभयपक्षों को ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया । 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि पुनरावलोकन की अनुमति उन्हें बिना सुने दी गई है जबकि पुनरावलोकन की अनुमति दिए जाने के पूर्व हितबद्ध व्यक्ति को सुना जाना आवश्यक है । यह भी कहा गया कि यदि अधीनस्थ न्यायालय यह मानते थे कि सहायक अधीक्षक को संहिता की धारा 89 के तहत आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था तो उन्हें स्वयं प्रकरण का निराकरण करना चाहिए था । 3/ शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताया गया किंतु उनके द्वारा आवेदक के इस तर्क से सहमति जताई गई कि अधीनस्थ न्यायालय को आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर स्वयं आदेश पारित करना चाहिए था उनके द्वारा प्रकरण को विधिवत निराकरण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिए जाना उचित बताया गया । 4/ दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में दिनांक 10–6–15 को सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख छतरपुर द्वारा दिनांक 10–6–15 को पारित किया गया । आदेश पारित होने के उपरांत	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	यह तथ्य प्रकाश में आने पर कि (आदेश पारित करने वाले अधिकारी को आदेश पारित करने की अधिकारिता ही नहीं थी क्योंकि वे प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत नहीं थे तथा शासन की अधिसूचना दिनांक 27–6–13 के द्वारा संहिता की धारा 89 की शक्तियां शासन द्वारा उन्हें प्रदत्त नहीं की गई थीं) प्रकरण में संहिता की धारा 51 के तहत कलेक्टर, छतरपुर से पुनरावलोकन की अनुज्ञा प्राप्त कर आलोच्य आदेश द्वारा सहायक अधीक्षक द्वारा पारित उक्त आदेश को निरस्त करते हुए अभिलेख को पूर्व स्थित में रखे जाने के आदेश दिए हैं । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उभयपक्षों कर यह तर्क उचित प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जब यह माना कि सहायक अधीक्षक को संहिता की धारा 89 के अंतर्गत आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं रखते थे तब उनका यह विधिक दायित्व था कि वे उक्त आदेश को निरस्त करने के साथ–साथ आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निराकरण हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत करते परंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है । अतः आलोच्य आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उपरोक्त विवेचना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का विधिवत निराकरण करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । प्रशा0 सदस्य	